



# आजादी के ७० साल बाद भी बाघ नदी पर नहीं बनें पुल

सालेकसा तहसील के सैकड़ों गांवों का मुसीबतों का सफर जारी



नदिटोला, साकरीटोला, सलंगटोला, अंजोरा, कन्हारटोला, पानगांव, दरबड़, घांसी, दागोला, चर्जटोला, गांधोटोला, बापुटोला आदि अनेक गांवों के नागरिक बाघ नदी के नदीटोला व धाणोली घाट पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। भजेपार-बोरकन्हार मार्ग के नाले का पुनर्निर्माण कई वर्षों से जारी होने के बावजूद यहां से जानलेवा सफर करना पड़ता है। जिससे नागरिक क्रूर हो गए हैं। इन सभी मार्गों पर तत्काल पुल निर्माण करने की मांग नागरिकों द्वारा की गई है। मांगो की ओर अन्देखी की गई तो मध्य में लोकसभा, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पर बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है।

**प्रयास जारी हैं**  
बाघ नदी पर पुल नहीं होने से नागरिकों को निश्चित ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं यथासंभव सुलझाने का प्रयास जारी है। जल्द ही नागरिकों को खुशखबरी मिलेगी। क्षेत्र के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं।  
- सहब्राम कोरोटे, विधायक  
आमगांव-देवरी विधानसभा क्षेत्र

**गोंदिया** - सालेकसा तहसील की जीवनदायिनी बाघ नदी के अनेक घाटों पर पुल नहीं होने के कारण नागरिकों को नदी के पानी में से रास्ता ढूँढते हुए मुसीबतों का सफर करना पड़ रहा है। आजादी के ७० साल बाद भी तहसील की यह स्थिति होने के कारण जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नागरिकों में गुस्सा पनप रहा है। भजेपार-धानोली, भजेपार-सालेकसा व भजेपार-बोरकन्हार मार्ग पर तत्काल पुल निर्माण करने की मांग नागरिकों ने की है। गौरतलब है कि, पिछले अनेक वर्षों से सालेकसा तहसील के भजेपार, धानोली, बोदलबोड़ी, माताटोला,

के बावजूद यहां से जानलेवा सफर करना पड़ता है। जिससे नागरिक क्रूर हो गए हैं। इन सभी मार्गों पर तत्काल पुल निर्माण करने की मांग नागरिकों द्वारा की गई है। मांगो की ओर अन्देखी की गई तो मध्य में लोकसभा, विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पर बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई है।  
**श्रमदान से बनाया गया रपटा**  
सालेकसा तहसील के भजेपार ग्रामवासियों ने गतवर्ष बाघ नदी के धानोली घाट पर श्रमदान के माध्यम से कच्चा पुल रपटा बनाया था। जो बारिश के दिनों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है,

## बोदलकसा-मंगेझरी-खाडीपार मार्ग की रिश्ति बढहाल

मार्ग का उखड़ा डामर, जगह-जगह हुए गड्डे



कि उपरोक्त मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन भी होता है। जिससे स्थिति और भी दयनीय हो चुकी है। गेरेगांव तिरौड़ा गेरेगांव के लिए यह मार्ग काफी सरल व सभ्य है, किंतु मार्ग पर बड़े टिप्पर प्रतिदिन चलने से मार्ग की स्थिति और भी बढहाल हो चुकी है। गत वर्ष मर में अनेक दुर्घटनाएं इस मार्ग पर हो चुकी हैं। उपरोक्त मार्ग तिरौड़ा सांजनीक बांकेम विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन विभाग इस ओर अन्देखी कर रहा है।

**जनप्रतिनिधियों व प्रशासकीय अधिकारियों के आवागमन का मार्ग**  
तिरौड़ा के अदानी प्रकल्प में कुहराडी, खडीपार, तिमझरी, आसलपानी, पाथरी, मंगेझरी, कोटबर्ग, नारांग, कटंगी, हिरापुर, रामाटोला, पनपुरी आदि अनेक गांव के युवक कार्य के लिए जाते हैं। इस मार्ग से लगा हुआ ही नागेशियार प्रकल्प बोदलकसा में पर्यटन विभाग का निवास स्थान, तालाब व जंगल हैं, जिससे पर्यटकों का भी आवागमन लगा रहता है। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व प्रशासकीय अधिकारी भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। लेकिन उनके द्वारा भी अन्देखी की जा रही है। मार्ग की बढहाल स्थिति के चलते वाहनों का चलना भी दूसर हो गया है। उपरोक्त मार्ग का डामरीकरण जल्द से जल्द शुरू किया जाए ऐसी मांग परिसर के नागरिकों द्वारा की गई है।

**संवाददाता तिरौड़ा** - नखलप्रस्त आदिवासी बहुल जंगल परिसर के रूप में पहचाना जाने वाला बोदलकसा-मंगेझरी-खाडीपार के मुख्य मार्ग की रिश्ति बढहाल हो चुकी है। मार्ग का डामर जगह-जगह से उखड़ चुका है व बड़े-बड़े गड्डे हो चुके हैं। फिर भी इस और जनप्रतिनिधियों व प्रशासन द्वारा अन्देखी की जा रही है। गौरतलब है कि जिले के संरक्षित वन क्षेत्र से लगे ग्रामों के मुख्य मार्ग की रिश्ति बढहाल हो चुकी है। इसी के अंतर्गत बोदलकसा, मंगेझरी, खाडीपार का मुख्य मार्ग अनेक वर्षों से बढहाल स्थिति में पहुंच चुका है। मार्ग का डामर उखड़ने से मिट्टी फैल गई है व जगह-जगह बड़े-बड़े गड्डे हो गए हैं। विशेष यह है

## प्रतिबंधित तंबाखु विक्रेताओं पर कोटापाकानू २००३ के तहत कार्रवाई

गोंदिया जिले में प्रतिबंधित तंबाखु की बिक्री बढ रही है। तंबाखु जन्म पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए डुमगीपार पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में तंबाखु विक्रेताओं पर कोटापाकानू २००३ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्त्वधान में कार्रवाई की गई। कोटापाकानू २००३ के तहत कलम ४ के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में तंबाखु व तंबाखु जन्म पदार्थों के सेवन पर बंदी, कलम ५ के अनुसार तंबाखु पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर बंदी, कलम ६ (अ) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में बिक्री पर पाबंदी, कलम ७ के अनुसार तंबाखु जन्म पदार्थों के पैकेट पर चेतावनी देना आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय, स्कूल, महाविद्यालय, बस स्थानक, शासकीय-अशासकीय कार्यालय आदि स्थानों तथा स्कूलों व चिकित्सालयों के १०० मीटर के परिसर में तंबाखु व तंबाखु जन्म पदार्थ जैसे खर्रा, गुटखा, पान मसाला बिक्री करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त अभियान कलम ४, ५ व ६ के अंतर्गत २० पानटवरियों पर छापामार कार्रवाई की गई, व ७ लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। उपरोक्त कार्रवाई जिला शल्य चिकित्सक डॉ. अमरीश मोहंते के मार्गदर्शन में जिला मखिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल आटे, मनोवैज्ञानिक सुरेखा मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ता संस्था शंभरकर, तारकेश उके, विवेकानंद कोरे तथा पुलिस निरीक्षक डुमगीपार के सहयोग से वनस्थल उर्फ, नेमराज कुरसुंग द्वारा की गई।

## ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता पंकज चौहान ४ हजार की रिश्तव लेते एसीबी के जाल में

गोंदिया - आमगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुशीपार टोला निवासी फरियादी के प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम सुधारने व आवास योजना की किस्त देने के नाम पर पंचायत समिति आमगांव में कार्यरत ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता पंकज श्रीराम चौहान द्वारा ५ हजार रुपए रिश्तव की मांग की गई थी। लेकिन फरियादी द्वारा रिश्तव न देने की मंशा को लेकर इसकी शिकायत गोंदिया एंटी कर्प्शन ब्यूरो में की। जिसके पश्चात १७ मार्च को एसीबी द्वारा आरोपी को ४ हजार रुपए की रिश्तव लेते हुए पंचायत समिति कार्यालय आमगांव में पंचों के समक्ष दो हाथों धर दबाया गया।  
प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मंजूर हुआ था। लेकिन सूची में उसके स्थान पर उसके पुत्र का नाम आ जाने से सूची को दुरुस्त कराने व आवास योजना के निर्माण के लिए पहली किस्त जमा करने के लिए फरियादी आरोपी अभियंता से मिला था तथा सूची को सुधारित करने तथा पहली किस्त जमा करने की मांग की थी। जिस पर आरोपी द्वारा ५ हजार रुपए की मांग की थी। इसके कुछ दिनों के बाद जब अभियंता आवास योजना के सर्वे के लिए फरियादी के ग्राम खुशीपार टोला गया था तो दूसरी किस्त के बारे में पूछे जाने पर आरोपी अभियंता ने कहा कि तुमने अब तक ५ हजार रुपए नहीं दिए। जिस पर फरियादी द्वारा कुछ पैसे कुछ कन बात कही गई तथा इसकी शिकायत एंटीबी में की गई।  
उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात आरोपी को खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ की धारा ७ सुधारित अधिनियम २०१८ के तहत मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त कार्रवाई एसीबी के पुलिस अधीक्षक रश्मि नादेशकर, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश दुसलवार, मिलित तौरों के मार्गदर्शन में गोंदिया के उप अधीक्षक सनातन कोटवाट, राको विजय खोबराडे, मोहन राजेश सेंद्रे, नापोसी रंजीत बिसेन, नितिन राहंगडाले व सभी एसीबी कर्मचारियों द्वारा की गई।



## राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण नहीं, व्यापारी व आम जनता के लिए ही बढ रहा कोरोना - पार्षद यादव

गोंदिया - देश व राज्य के साथ-साथ गोंदिया जिले में भी कोरोना का संक्रमण बढने के मामले शासकीय आंकड़ों में सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने में आया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण नहीं फैल रहा, बल्कि व्यापारियों व आम जनता से कोरोना की स्थिति म्यानक नहीं होती। इस पर संदेह निर्माण हो रहा है।  
देश में गत वर्ष लॉकडाउन व विभिन्न नियमों के चलते पूरा व्यापार चौपट होने के साथ ही, आम जनता की आर्थिक स्थिति, छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अब तक इस ओर कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं। जिस पर जल्द से जल्द समाधान कारक हल निकाल कर मध्यम वर्गीय व्यापारियों की हो रही खराब स्थिति को संभालने का कार्य सरकार करें ऐसी मांग पार्षद लोकेश यादव द्वारा की गई है।

फिर से कोरोना बढने लगा है। यदि जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव घोषित हो जाते तो शायद जिले व राज्य में कोरोना की स्थिति म्यानक नहीं होती। इस पर संदेह निर्माण हो रहा है।  
देश में गत वर्ष लॉकडाउन व विभिन्न नियमों के चलते पूरा व्यापार चौपट होने के साथ ही, आम जनता की आर्थिक स्थिति, छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अब तक इस ओर कोई विशेष उपाय नहीं किए गए हैं। जिस पर जल्द से जल्द समाधान कारक हल निकाल कर मध्यम वर्गीय व्यापारियों की हो रही खराब स्थिति को संभालने का कार्य सरकार करें ऐसी मांग पार्षद लोकेश यादव द्वारा की गई है।



## अति दुर्गम क्षेत्र दरेकसा में कोरोना टिकाकरण की शुरुआत

रवि सोनवाने - सालेकसा तहसील के अंतर्गत आने वाले अतिदुर्गम क्षेत्र दरेकसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना टिकाकरण की शुरुआत हो गई है। जिसे सालेकसा तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित खोडनकर के हस्त कुड़डोह के दूर क्षेत्र नरसल विरोधी सशस्त्र जवानों को कोरोना का टीका देकर शुरुआत की गई। इसके साथ ही ६० वर्ष से अधिक व ४५ से ४९ व आयु वर्ग के १०० नागरिकों को टीका दिया गया है। उपरोक्त टिकाकरण प्रतिदिन शुरू है। इस अवसर पर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदेश गवली, डॉ. शीतल प्रसाद महेशकर, डॉ. अंजली पांडे, डॉ. प्रनाकर डोंगरवार, दवाई निर्माण अधिकारी गणेश देवाल, स्वास्थ्य सेविका राज्यश्री मोडे, राखी प्रसाद, अनीता गोडोलकर, स्वास्थ्य सेवक दीपेश चौहान, विष्णु डबारे, बाबूलाल उके व कर्मचारी उपस्थित थे।

## जिले में २७ मार्च तक धारा ३७ लागू

गोंदिया जिले में १३ से २७ मार्च २०२१ तक की इकलावधि के दौरान विभिन्न पक्ष व संघटना द्वारा अपनी प्रलंबित मांगों संबंधित अनशन, धरना, मोर्चा, रास्ता रोक, जेल भरो आंदोलन तथा हड़ताल को प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए जिले के सभी शासकीय चिकित्सालय, सीसीटी, डीसीएच, डीपीएच व निजी कोविड-१९ चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ रही है। साथ ही स्थानीय बाजार परिसर में लोगों की भीड़ बढने के कारण किसी भी प्रकार की अनुचित घटना न घटे इसके लिए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए १९५१ मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा ३७, १३ प्रतिबंधक आदेश १३ से २७ मार्च २०२१ तक लागू किया गया है। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौजदारी नियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का आदेश अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी गोंदिया द्वारा जारी किया गया है।





